**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1917**

**04 दिसंबर, 2019 को उत्तर के लिए**

**स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा भुगतान में विलंब के कारण बोकारो के एमएसएमई को बंद करने की नौबत**

**1917. श्री धीरज प्रसाद साहूः**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि बोकारो के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को सेल, बीएसएल द्वारा भुगतान में विलंब के कारण उनको बंद करने की नौबत आ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मामला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि माल रसीद नोट (जीआरएन) जारी करने/आपूर्ति की गई सामग्री के एवज में बीएसएल की ओर से स्वीकृति प्रदान करने में असामान्य विलंब के कारण एमएसएमई बिल प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा उठाए गए एहतियाती कदम क्या हैं?

**उत्तर**

**इस्पात मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) और (ख): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने सूचित किया है कि बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा एमएसएमई को भुगतान में विलंब नहीं हुआ है। अपेक्षित दस्तावेजों के साथ संबंधित एमएसएमई द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों के विधिवत सत्यापन के उपरांत एमएसएमई से संबंधित नियमों/सहमत निबंधन एवं शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाता है।

(ग) और (घ): सेल ने आगे सूचित किया है कि बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा खरीद आदेश की शर्तों के पूरा होने की शर्त के अध्यधीन आपूर्ति की गई सामग्री के विधिवत निरीक्षण के उपरांत इस सामग्री के लिए माल प्राप्ति नोट (जीआरएन)/स्वीकृति जारी की जाती है। निरीक्षण प्रक्रिया को सुचारू बनाने तथा गति प्रदान करने और निरीक्षण में लगने वाले समय को कम करने के लिए उपाय किए गए हैं।

****